

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/संस्था-2/स्थाना.2015/ 22642-22675

दिनांक: 29-06-2015

आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक प्रथम श्रेणी शिक्षक/प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के स्थानान्तरण राज्य हित में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किये जाते है-

क्र.सं.	नाम शिक्षक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	टिप्पणी	प्रशासनिक/स्वैच्छिक
1	रमेश चन्द कारपेन्टर	प्र0अ0	राप्रवेसंवि जवाहरनगर बूंदी से स्थानान्तरणाधीन राप्रवेसंवि कापरेन बूंदी	राप्रवेसंवि हिण्डोली बूंदी	सूर्यनारायण के स्थान पर	स्वैच्छिक
2	सूर्यनारायण	प्र0अ0	राप्रवेसंवि हिण्डोली बूंदी	राप्रवेसंवि कापरेन बूंदी	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
3	सीताराम कुलदीप	साहित्य	रावउपासंवि 35 एमओडी हनुमानगढ	रावउपासंवि गोलिया जेतमाल बाडमेर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
4	सत्यनारायण शर्मा	सा0 व्याकरण	रावरिउपासंवि दौसा	रावरिउपासंवि गंगरार, चित्तौडगढ	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
5	अनिल कुमार हल्दिया	विज्ञान	रावरिउपासंवि दौसा	रावरिउपासंवि चकगोपीनाथपुरा, सीकर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
6	रामावतार शर्मा	ज्योतिष	रावरिउपासंवि दौसा	रावरिउपासंवि दिवराला, सीकर	रमेश कुमार शर्मा के स्थान पर	प्रशासनिक
7	रमेश कुमार शर्मा	ज्योतिष	रावरिउपासंवि दिवराला, सीकर	रावरिउपासंवि कालाडेरा, जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
8	रूपनारायण शर्मा	साहित्य	रावरिउपासंवि दौसा	रावरिउपासंवि थौरिया, राजसमन्द	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
9	जगदीश प्रसाद लखेरा	व्याकरण	रावरिउपासंवि कालाडेरा, जयपुर	रावरिउपासंवि सांगरिया, भीलवाडा	रिक्त पद पर	प्रशासनिक

नोट-1. जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किये गये है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। 2. जिन कार्मिकों के न्यायिक प्रकरण विचाराधीन है, उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 3. जिन कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति पर उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी होने की तिथि को तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए है उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 4. स्थानान्तरित कार्मिकों को दिनांक 06.07.2015 तक आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा।


(लक्ष्मीनारायण आसोपा)

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संस्कृत शिक्षा राजस्थान
3. संबंधित प्राचार्य/संकुल प्रभारी को भेजकर लेख है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
4. संबंधित कार्मिक
5. श्री शंकर सोनी, पु0अ0/वेबसाईट प्रभारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की वेबसाईट पर उक्त आदेश को तत्काल अपलोड करें ।
6. व्यक्तिगत पंजिका



(लक्ष्मीनारायण आसोपा)

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर